रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224647
CG-DL-E-22012021-224647

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942
No. 30]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

सा. का.नि. 39(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उनका संबंध अपर विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) के पद से है तथा विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'क' पद प्रादेशिक भाषा शाखा) भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में समूह 'क' (प्रादेशिक भाषा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'क' पद प्रादेशिक भाषा) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति. -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अपर विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा)।	02 *** (2020)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनन्-सचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु.)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** राजभाषा खंड, विधायी विभाग के ऐसे उप-विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो सुसंगत विषय क्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) **(i)** जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या **(ii)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200/- रू0) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :- (अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में मास्टर डिग्री ; और **(ii)** जिनके पास निम्नलिखित हो :- राज्य न्यायिक सेवा का दस वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो; या

			केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे सरकारी कर्मचारी या कार्यपालक अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत निकाय के ऐसे अधिकारी जिन्हें विधिक कार्य का दस वर्ष का अनुभव हो; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो दस वर्ष तक उसी रूप में व्यवसाय किया हो; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में दस वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिन्दी से भिन्न कोई एक भाषा) में अनुवाद का दस वर्ष का अनुभव हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों के प्रारूपण का दस वर्ष का अनुभव हो ; और **(iii)** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) के माध्यम के किसी संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा में संबद्ध प्रस्तावित भाषा एक विषय के रूप में रहा हो । अथवा (आ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में बैचलर डिग्री ; और **(ii)** जिनके पास निम्नलिखित हो – राज्य न्यायिक सेवा का बारह वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो ; या केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे सरकारी कर्मचारी या कार्यपालक अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत निकाय के ऐसे अधिकारी जिन्हें विधिक कार्य का बारह वर्ष का अनुभव हो ; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो बारह वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय किया हो ; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में बारह वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में

			कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिन्दी से भिन्न कोई एक भाषा) में अनुवाद का बारह वर्ष का अनुभव हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों के प्रारूपण का बारह वर्ष का अनुभव हो ; और **(iii)** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) के माध्यम के किसी संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा में संबद्ध प्रस्तावित भाषा एक विषय के रूप में रहा हो । **टिप्पण 1** : आवश्यक अर्हताओं में प्रयुक्त अर्हित विधि व्यवसायी पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिवक्ता या अभिवक्ता है और उसने विधि में मास्टर डिग्री की दशा में पांच वर्ष या विधि में बैचलर डिग्री की दशा में सात वर्ष तक उसी रूप में व्यवसाय किया हो । **टिप्पण 2** : विधिक कार्य में अनुभव की अवधि से सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत निकाय के अधीन मूल विधिक पद धारण करने की अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विधि में बैचलर डिग्री भर्ती के लिए पूर्वापेक्षित या आवश्यक अर्हता है । वाछंनीय: (i) केन्द्रीय या राज्य सरकार में संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) में विधायी प्रारूपण का पांच वर्ष का अनुभव । **(ii)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बैचलर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) एक विषय या माध्यम रहा हो । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

			टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **छप्पन** वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष ; 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- सदस्य ; 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- सदस्य ; 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- सदस्य।	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा)।	14 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननु-सचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.)।	चयन पद।	50 वर्ष से अनधिक। **टिप्पण 1:** आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। **टिप्पण 2**: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	**अर्हता:** **आवश्यक**: अ. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में मास्टर डिग्री ; और **(ii)** जिनके पास निम्नलिखित हो – राज्य न्यायिक सेवा का आठ वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो ; या केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे सरकारी कर्मचारी या कार्यपालक अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत निकाय के ऐसे अधिकारी जिन्हें विधिक कार्य का आठ वर्ष का अनुभव हो ; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो आठ वर्ष तक उसी रूप में व्यवसाय किया हो ; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में आठ वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार

						या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिन्दी से भिन्न कोई एक भाषा) में अनुवाद का आठ वर्ष का अनुभव हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों के प्रारूपण का आठ वर्ष का अनुभव हो; और **(iii)** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) के माध्यम के किसी संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा में संबद्ध प्रस्तावित भाषा एक विषय के रूप में रहा हो। अथवा आ. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में बैचलर डिग्री ; और **(ii)** जिनके पास निम्नलिखित हो :- राज्य न्यायिक सेवा का दस वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो ; या केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे सरकारी कर्मचारी या कार्यपालक अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत निकाय के ऐसे अधिकारी जिन्हें विधिक कार्य का दस वर्ष का अनुभव हो ; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो दस वर्ष तक उसी रूप में व्यवसाय किया हो ; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में दस वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या

						केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिन्दी से भिन्न कोई एक भाषा) में अनुवाद का दस वर्ष का अनुभव हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों के प्रारूपण का दस वर्ष का अनुभव हो; और **(iii)** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई भी एक भाषा) के माध्यम के किसी संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा में संबद्ध प्रस्तावित भाषा एक विषय के रूप में रहा हो । **टिप्पण 1** : आवश्यक अर्हताओं में प्रयुक्त अर्हित विधि व्यवसायी पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिवक्ता या अभिवक्ता है और उसने विधि में मास्टर डिग्री की दशा में आठ वर्ष या विधि में बैचलर डिग्री की दशा में दस वर्ष तक उसी रूप में व्यवसाय किया हो । **टिप्पण 2** : विधिक कार्य में अनुभव की अवधि से सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत निकाय के अधीन मूल विधिक पद धारण करने की अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विधि में बैचलर डिग्री भर्ती के लिए पूर्वापेक्षित या आवश्यक अर्हता है । **टिप्पण 3** : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसर शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 4** : अनुभव संबंधी

						अर्हता/अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय:** अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बैचलर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) एक विषय या माध्यम रहा हो। **टिप्पण:** संबद्ध भाषा की सही अपेक्षा भर्ती के समय उपदर्शित की जाएगी। **अनुभव:** केन्द्रीय या राज्य सरकार में संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) में विधायी प्रारूपण का पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)
नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11, (67700-208700/- रु.) में ऐसे सहायक विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो सुसंगत विषय क्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण (1) :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही

			पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति -** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) **(i)** जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या **(ii)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 **(67700-208700/- रु0)** या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया **चार** वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **छप्पन** वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष ; 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- सदस्य ; 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- सदस्य ; 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- सदस्य ; **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे-**	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सहायक विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) ।	14 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननु- सचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700- 208700 रु.) ।	लागू नहीं होता ।	40 वर्ष से अनधिक । **टिप्पण 1**: आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी । **टिप्पण 2**: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।	<u>**अर्हता:**</u> आवश्यक: अ. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में मास्टर डिग्री ; और **(ii)** जिनके पास निम्नलिखित हो :- राज्य न्यायिक सेवा का पाँच वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो ; या केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे सरकारी कर्मचारी या कार्यपालक अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत निकाय के ऐसे अधिकारी जिन्हें विधिक कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव हो ; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो पाँच वर्ष तक उसी रूप में व्यवसाय किया हो ; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में पाँच वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिन्दी से भिन्न कोई एक भाषा) में अनुवाद का पाँच वर्ष का अनुभव हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों के प्रारूपण का पाँच वर्ष का अनुभव हो ; और **(iii)** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई भी एक भाषा) के माध्यम के किसी संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा

						या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा में संबद्ध प्रस्तावित भाषा एक विषय के रूप में रहा हो। अथवा आ. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में बैचलर डिग्री ; और **(ii)** जिनके पास निम्नलिखित हो – राज्य न्यायिक सेवा का सात वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो ; या केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे सरकारी कर्मचारी या कार्यपालक अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत निकाय के ऐसे अधिकारी जिन्हें विधिक कार्य का सात वर्ष का अनुभव हो ; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो सात वर्ष तक उसी रूप में व्यवसाय किया हो ; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में सात वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिन्दी से भिन्न कोई एक भाषा) में अनुवाद का सात वर्ष का अनुभव हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों के प्रारूपण का सात वर्ष का अनुभव हो ; और **(iii)** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई भी एक भाषा) के माध्यम के किसी संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा

						या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा में संबद्ध प्रस्तावित भाषा एक विषय के रूप में रहा हो। **टिप्पण 1 :** आवश्यक अर्हताओं में प्रयुक्त अर्हित विधि व्यवसायी पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिवक्ता या अभिवक्ता है और उसने विधि में मास्टर डिग्री की दशा में पाँच वर्ष या विधि में बैचलर डिग्री की दशा में सात वर्ष तक उसी रूप में व्यवसाय किया हो । **टिप्पण 2 :** विधिक कार्य में अनुभव की अवधि से सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत निकाय के अधीन मूल विधिक पद धारण करने की अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विधि में बैचलर डिग्री भर्ती के लिए पूर्वापेक्षित या आवश्यक अर्हता है । **वांछनीय:** अर्हता: 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में संबंद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) में विधायी प्रारूपण का पांच वर्ष का अनुभव । **2.** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बैचलर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) एक विषय या माध्यम रहा हो ।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण:** पदधारी की प्रतिनुयक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बिमारी या अध्ययन छुटटी या किंही अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनुयक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी:	लागू नहीं होता ।

		(क) **(i)** जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या **(ii)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रु0) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो ।	

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2018-प्रशा. I (वि.वि.)]

अनुप कुमार वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

G.S.R. 39(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing (Group'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2003 in so far as they relates to the post of Additional Legislative Counsel (Regional Languages) and in supersession of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group 'A' Posts Regional Languages) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts (Regional Languages) in the Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group 'A' posts Regional Languages) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Additional Legislative Counsel (Regional Languages)	02*(2020) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900)	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	100% by promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Legislative Counsel (Regional Languages) Official Languages Wing, Legislative Department with five years regular service in the grade and having successfully completed training of two weeks duration in the relevant field or area. **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission- Chairman; 2 Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice- Member; 3.Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member; 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice-	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation.

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service. **Deputation**: Officers under the Central or State Government or Union Territories: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (A)(i) Masters Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) possessing the following: a member of State Judicial Service for a period of ten years; or a Central or State or Union Territory Government Servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body who has had experience in legal affairs for ten years; or a qualified legal practitioner who has practised as such for ten years; or a teacher of law for ten years in a recognised institution; or ten years experience of translation into the concerned language (one of the languages, other than Hindi, mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government or Union Territory; or ten years experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government or Union Territory; and (iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through medium of concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) or had offered the concerned language as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign University approved by the Central Government. Or (B) (i) Bachelors Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) possessing the following:	Member.	

a member of State Judicial Service for a period of twelve years; or a Central or State or Union Territory Government Servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body who has had experience in legal affairs for twelve years; or a qualified legal practitioner who has practised as such for twelve years; or a teacher of law for twelve years in a recognised institution; or		
twelve years experience of translation into the concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or the State Government or Union Territory; or twelve years experience of drafting of statutes in the Central Government or the State Government or Union Territory; and (iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through medium of concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) or had offered the concerned language as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign University approved by the Central Government. **Note 1**: The expression qualified legal practitioner used in the essential qualifications means a person who is an advocate or a pleader and has practised as such for five years in case of Masters Degree in Law or seven years in case of Bachelors Degree in Law. **Note 2**: The term experience in legal affairs means holding of a substantive legal post under the Government or Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body for which Bachelors Degree in Law is a prerequisite or essential qualification for recruitment. **Desirable**: (i) Five years experience of legislative drafting in the language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned in Central or State Government. (ii) Bachelors degree from a recognised University or Institution with the language		

(one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned as a subject or medium at degree level. **Note1:-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Legislative Counsel (Regional Languages).	14 *(2020) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection post.	Not exceeding 50 years. **Note1:-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. **Note2**: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: **Essential**: A.(i) Masters Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) possessing the following: a member of State Judicial Service for a period of eight years; or a Central or State or Union Territory Government Servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body who has had experience in legal affairs for eight years; or a qualified legal practitioner who has practised as such for eight years; or a teacher of law for eight years in a recognised institution; or eight years experience of translation into the concerned language (one of the languages, other	No.	One year for direct recruits.	50% by direct recruitment; 50% by promotion failing which by deputation.

than Hindi, mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government or Union Territory; or eight years experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government or Union Territory; and (iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through medium of concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) or had offered the concerned language as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign University approved by the Central Government. Or B. (i) Bachelors Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) possessing the following: a member of State Judicial Service for a period of ten years; or a Central or State or Union Territory Government Servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body who has had experience in legal affairs for ten years; or a qualified legal practitioner who has practised as such for ten years; or a teacher of law for ten years in a recognised institution; or ten years experience of translation into the concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or the State Government or Union Territory; or ten years experience of drafting of statutes in the Central Government or the State Government or Union Territory; and (iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through medium of concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) or had offered the concerned language as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign University approved by the Central Government. **Note1:** The expression qualified legal practitioner			

used in the essential qualifications means a person who is an advocate or a pleader and has practised as such for eight years in case of Masters Degree in Law or ten years in case of Bachelors Degree in Law. **Note2:** The term experience in legal affairs means holding of a substantive legal post under the Government or Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body for which Bachelors Degree in Law is a prerequisite or essential qualification for recruitment. **Note3:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note4:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** **Qualification**: Bachelors degree from a recognised University or Institution with the language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned as a subject or medium at degree level. **Note**: The exact requirement of the concerned language shall be indicated at the time of recruitment. **Experience**: Five years experience of legislative drafting in the language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned in Central or State Government.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Legislative Counsel (Regional Languages) in level-11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed training of two weeks duration in the relevant field or area. **Note (1):-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member; 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member; 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation basis.

successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation**: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-11 in the pay matrix Rs.67700-208700 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column 7: **Note1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2:** Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice- Chairman; 2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member; 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Assistant Legislative Counsel (Regional Languages).	14 *(2020) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not exceeding 40 years. **Note1:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. **Note2**: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: **Essential**: A.(i) Masters Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) possessing the following:	Not applicable.	One year for direct recruits.	100% by direct recruitment. **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or

a member of State Judicial Service for a period of five years; or a Central or State or Union Territory Government Servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body who has had experience in legal affairs for five years; or a qualified legal practitioner who has practised as such for five years; or a teacher of law for five years in a recognised institution; or five years experience of translation into the concerned language (one of the languages, other than Hindi, mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government or Union Territory; or five years experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government or Union Territory; and (iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through medium of concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) or had offered the concerned language as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign University approved by the Central Government. Or B. (i) Bachelors Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) possessing the following: a member of State Judicial Service for a period of seven years; or a Central or State or Union Territory Government Servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body who			under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) of the pay matrix or equivalent in parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

has had experience in legal affairs for seven years; or a qualified legal practitioner who has practised as such for seven years; or a teacher of law for seven years in a recognised institution; or seven years experience of translation into the concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or the State Government or Union Territory; or seven years experience of drafting of statutes in the Central Government or the State Government or Union Territory; and (iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through medium of concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) or had offered the concerned language as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign University approved by the Central Government. **Note1:** The expression qualified legal practitioner used in the essential qualifications means a person who is an advocate or a pleader and has practised as such for five years in case of Masters Degree in Law or seven years in case of Bachelors Degree in Law. **Note2:** The term experience in legal affairs means holding of a substantive legal post under the Government or Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body for which Bachelors Degree in Law is a prerequisite or essential qualification for recruitment. **Desirable**: **Qualification**: 1. Five years experience of legislative drafting			

in the language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned in Central or State Government. 2. Bachelors degree from a recognised University or Institution with the language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned as a subject or medium at degree level.			

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Chairman; 2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member; 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/1/2018-Admn.I(LD)]

ANUP KUMAR VARSHNEY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.